



(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 17/2016

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री श्यामलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र ग्यारसा जाति सहरिया निवासी दांता केलवाडा जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री बालमुकंद गूजर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 22.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री श्यामलाल पुत्र ग्यारसा जाति सहरिया निवासी दांता केलवाडा जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना केलवाडा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध शराब तस्करी एवं जुआ सट्टा की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना केलवाडा में वर्ष 2013 से 2016 की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरणों में से 01 प्रकरण जुआ सट्टा का अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 04 प्रकरण अवैध शराब तस्करी के अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सार्ज एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 01 प्रकरण जुआ सट्टा के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 03 प्रकरण अवैध शराब तस्करी अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सार्ज एक्ट में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ती को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	24 / 2013	13 आर0पी0जी0ओ0	19 / 12.02.2013	सजा
2.	158 / 2014	19 / 54 एक्सार्इज एक्ट	97 / 18.07.2014	सजा
3.	276 / 2014	19 / 54 एक्सार्इज एक्ट	191 / 17.11.2014	सजा
4.	150 / 2015	19 / 54 एक्सार्इज एक्ट	130 / 26.03.2015	सजा
5.	94 / 2016	19 / 54 एक्सार्इज एक्ट	79 / 23.05.2016	पेंडिंग कोर्ट

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 01 प्रकरण जुआ सट्टा के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 03 प्रकरण अवैध शराब तस्करी के अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सार्इज एक्ट में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 29.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ज्य सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना केलवाडा में वर्ष 2013 से 2016 की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरणों में से 01 प्रकरण जुआ सट्टा का अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 04 प्रकरण अवैध शराब तस्करी के अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सार्इज एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 01 प्रकरण जुआ सट्टा के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 03 प्रकरण अवैध शराब तस्करी अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सार्इज एक्ट में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ती को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के

आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि गैरसायल धारा 2 बी के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में नही आता है। उसे सर्वथा गलत नोटिस दिया गया है। इस परिभाषा में वर्णित कोई अपराध का मुकदमा न तो गैरसायल के विरुद्ध चला, न उसे कभी सजायाब किया गया है। उसे सर्वथा निराधार तथ्यों पर नोटिस दिया गया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है, जो गैरसायल को धारा 2 बी के तहत गुण्डा ठहराती हो। नोटिस में जिन मुकदमा का विवरण दिया गया है वह अपूर्ण है, उनकी कोई प्रति एवं फैसला न्यायालय में पेश नही किया गया है, न कथित प्रकरणों के तथ्यों का विवरण दिया गया है। न ही गैरसायल के विरुद्ध कोई शिकायत है। यह कार्यवाही किस आधार पर की गयी है, उसका भी कोई विवरण नही दिया गया है।

इसके साथ ही गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना केलवाडा द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना भंवरगढ किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना केलवाडा में वर्ष 2013 से 2016 की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरणों में से 01 प्रकरण जुआ सट्टा का अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 04 प्रकरण अवैध शराब तस्करी के अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 01 प्रकरण जुआ सट्टा के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत एवं 03 प्रकरण अवैध शराब तस्करी अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री श्यामलाल पुत्र ग्यारसा जाति सहरिया निवासी दांता केलवाडा जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 01 प्रकरण में एवं 03 प्रकरण अवैध शराब तस्करी अन्तर्गत धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट के तहत न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री श्री श्यामलाल पुत्र ग्यारसा जाति सहरिया निवासी दांता केलवाडा जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र केलवाडा से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री श्यामलाल पुत्र ग्यारसा जाति सहरिया निवासी दांता केलवाडा जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना केलवाडा से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना भंवरगढ जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसालय के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 10.08.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना भंवरगढ जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र केलवाडा से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना भंवरगढ जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां